प्र.स.:– 06/2022
दायर दिनांक:– 10.05.2022
निर्णय दिनांक :– 20.05.2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 06/2022

प्रकरण दायर दिनांक :– 10.05.2022

1. हनुमान पुत्र श्री गोविन्दा आयु 36 वर्ष
2. मुकरी देवी पत्नि श्री हनुमान आयु 33 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान
(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थिति :– श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा , अधिवक्ता वादी।

:: निर्णय :: दिनांक : 20.05.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा का [illegible] है। ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा में कृषि भूमि [illegible] 1173/227 रकबा 0.12 है0 स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। प्राथीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते है और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 06/2022
दायर दिनांकः– 10.05.2022
निर्णय दिनांक :– 20.05.2022

के चारो और मिटटी की सुरक्षार्थ लगाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की भूमि व फसल की सुरक्षा रहे। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में दिनांक 14.04.2022 को कराया जा चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर न्यायालय के माध्यम से पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहता है। जिस पर किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन भी नही है। अतः प्रार्थीगण ने अपने कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी ख.न. 1173/227 रकबा 0.12 है0 स्थित वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 एलआरएक्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लवाण की जरिये नोटिस के तलबी की गई एवं जांच रिपोर्ट तलब की गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। तहसीलदार लवाण से प्राप्त जांच रिपोर्ट, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा के राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.न. 1173/227 रकबा 0.12 है0 मुकरी देवी पत्नि हनुमान प्रसाद हि0 164/219 व हनुमान पुत्र गोविन्दा हि0 55/219 कौम मीना सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.04.2022 को किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा, खातेदार एवं पडौसी खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 1173/227 रकबा 0.12 है0 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/गिरदावरो की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 06 / 2022
दायर दिनांकः– 10.05.2022
निर्णय दिनांक :– 20.05.2022

पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested